जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना कोतवाली शहर **दिनांक – 06.07.2025**

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने मु0अ0सं0 583/25 धारा 109(1)/115(2)/190/191(2)/191(3)/132/125(ए) बीएनएस में वांछित 04 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 06.07.2025 को वादी आरक्षी संदीप कुमार तैनाती थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ने थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी कि रात्रि मे उसकी ड्यूटी के दौरान कुछ व्यक्ति बाइक/स्कूटी से सवार होकर शोर करते हुए किसी व्यक्ति के पीछे जा रहे थे तो जैसे ही उपरोक्त बाइक/स्कूटी सवार सभी व्यक्ति जानी चौराहे से आगे जाकर एक गली के सामने रूके तो वहां पर अपने घरों के सामने खडे व्यक्तियो से झगडने लगे तथा उनके द्वारा मौके पर पहुंचे पुलिस कर्मचारियों के साथ भी धक्का मुक्की की गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 583/2025 धारा 115(2)/191(2)/132/125(ए) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। अभियोग की विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियुक्तगण 1.उरुज अब्बास पुत्र शफीक अब्बास, 2.फराज हैदर पुत्र रईस हैदर, 3.अली मेहन्दी पुत्र हैदर अब्बास, 4.कायम रजा पुत्र मौ0 रजा समस्त निवासीगण मौ0 बुखारा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर के नाम प्रकाश मे आये तथा अभियोग में धारा 109(1)/191(3)/190 बीएनएस की वृद्धि की गई।

कार्यवाही –

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तगण 1.उरुज अब्बास पुत्र शफीक अब्बास, 2.फराज हैदर पुत्र रईस हैदर, 3.अली मेहन्दी पुत्र हैदर अब्बास, 4.कायम रजा पुत्र मौ0 रजा समस्त निवासीगण मौ0 बुखारा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया। अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1.उरुज अब्बास पुत्र शफीक अब्बास निवासी मौ0 बुखारा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।
2.फराज हैदर पुत्र रईस हैदर निवासी मौ0 बुखारा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।
3.अली मेहन्दी पुत्र हैदर अब्बास निवासी मौ0 बुखारा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।
4.कायम रजा पुत्र मौ0 रजा समस्त निवासी मौ0 बुखारा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 दीपक कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।
2.मुख्य आरक्षी आदेश थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।
3.आरक्षी सन्दीप थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।
4.आरक्षी विवेक थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नूरपुर **दिनांक – 06.07.2025**

थाना नूरपुर पुलिस ने हत्या की घटना का अनावरण करते हुए 04 अभियुक्तो को आलाक्तल डन्डा व बेल्ट तथा घटना मे प्रयुक्त कार सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 27.06.2025 को थाना नूरपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम रहटा बिल्लौच के पास पोषक नहर से एक अज्ञात पुरूष का शव बरामद हुआ था। स्थानीय पुलिस द्वारा शव को पंचायतनामा की कार्यवाही के उपरान्त पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भिजवाया गया। मृतक के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोंटने से मृत्यु होना अंकित आया। इस संबंध मे वादी श्री दिलशाद पुत्र शहादत निवासी ग्राम रहटा बिल्लौच थाना नूरपुर जनपद बिजनौर की तहरीर के आधार पर थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 219/25 धारा 103(1) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। अभियोग की विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान मृतक पुरूष की शिनाख्त विनित कुमार (27 वर्ष) पुत्र हरिओम जोशी निवासी मौ0 घोसीपुरा थाना कांठ जनपद मुरादाबाद के रूप में हुई। अभियोग की अग्रिम विवेचना के क्रम अभियुक्तगण 1.प्रिन्स पुत्र नामालूम निवासी नसीरपुर थाना कांठ जनपद मुरादाबाद 2.विशाल शर्मा पुत्र अशोक शर्मा, 3.अमन चन्द्रा पुत्र ओमप्रकाश निवासीगण मौ0 चौक बाजार थाना कांठ जनपद मुरादाबाद, 4.हरवेन्द्र पुत्र उमेश कुमार व 5.आकाश पुत्र अशोक कुमार निवासीगण बेगमपुर थाना कांठ जनपद मुरादाबाद के नाम प्रकाश में आये।

कार्यवाही विवरण-

आज दिनांक 06.07.2025 को थाना नूरपुर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्तगण 1.प्रिन्स शर्मा पुत्र वीरेन्द्र शर्मा निवासी नसीरपुर थाना कांठ जनपद मुरादाबाद 2.विशाल शर्मा पुत्र अशोक शर्मा निवासी मौ0 चौक बाजार थाना कांठ जनपद मुरादाबाद 3.हरविन्द्र पुत्र उमेश कुमार व 4.आकाश पुत्र अशोक कुमार निवासीगण ग्राम बेगमपुर थाना कांठ जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक आला कत्ल डन्डा व एक बेल्ट तथा मारूति 800 कार रजिस्ट्रेशन नं0 UP14 AM 4807 को बरामद किया गया। अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रयास जारी है

पूछताछ विवरण

पूछताछ के दौरान यह तथ्य प्रकाश मे आये अभियुक्त विशाल ने छह माह पूर्व विनीत (मृतक उपरोक्त) से ब्याज पर ₹10,000 उधार लिए थे तथा विनीत लगातार पैसे की मांग कर रहा था, जिससे विशाल मानसिक रूप से दबाव में था तथा अभियुक्त विशाल के दोस्त प्रिन्स शर्मा, जिसके ट्रस्ट "हिन्दू फ्रीडम फंड" में विनीत मैनेजर था, का भी विनीत से

पैसों को लेकर विवाद था, क्योंकि विनीत ने संस्था के पैसे अपने और अन्य खातों में डालकर गबन कर लिये थे। प्रिन्स के बार-बार तकाजा करने के बावजूद जब विनीत पैसे नहीं लौटा रहा था और न ही ऑफिस आ रहा था, तब प्रिन्स व विशाल ने अपने दोस्तो आकाश, हरविन्द्र और अमन उपरोक्त के साथ मिलकर विनीत की हत्या करने की योजना बनाई। योजना के अनुसार अभियुक्तगण विशाल, हरविन्द्र, अमन व आकाश ने मिलकर दिनांक 26.06.2025 को विनीत को ग्राम हीरापुर स्थित रामगंगा पुल थाना क्षेत्र कांठ जनपद मुरादाबाद के पास जंगल में बुलाकर शराब पिलाई, अधिक नशा होने पर अभियुक्त विशाल ने डंडे से विनीत के सिर और गर्दन पर वार किया, जब वह अर्ध बेहोशी की हालत मे हो गया तो चारो अभियुक्तो ने मिलकर बेल्ट से विनीत का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी तथा शव को रामगंगा पोषक नहर में पुल के नीचे फेंक दिया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1.प्रिन्स शर्मा पुत्र वीरेन्द्र शर्मा निवासी नसीरपुर थाना कांठ जनपद मुरादाबाद।
2.विशाल शर्मा पुत्र अशोक शर्मा निवासी मौ0 चौक बाजार थाना कांठ जनपद मुरादाबाद।
3.हरविन्द्र पुत्र उमेश कुमार निवासी ग्राम बेगमपुर थाना कांठ जनपद मुरादाबाद।
4.आकाश पुत्र अशोक कुमार निवासी ग्राम बेगमपुर थाना कांठ जनपद मुरादाबाद।

बरामदगी का विवरण-

1.घटना मे प्रयुक्त एक आला कत्ल डन्डा।
2.घटना मे प्रयुक्त आलाकत्ल एक बेल्ट।
3.घटना मे प्रयुक्त मारूति कार 800 रजिस्ट्रेशन सं0 UP14AM-4807।

वांछित अभियुक्त का विवरण-

अमन चन्द्रा पुत्र ओमप्रकाश निवासीगण मौ0 चौक बाजार थाना कांठ जनपद मुरादाबाद।

अभियुक्त आकाश का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 310/2024 धारा 115(2)/118(1)/351(2)/352 बीएनएस थाना कांठ जनपद मुरादाबाद।
2. मु0अ0सं0 219/25 धारा 103(1)/238/3(5)/61(2) बीएनएस थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

अभियुक्त विशाल का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 402/2024 धारा 115(2)/352/351(2) बीएनएस थाना कांठ जनपद मुरादाबाद।
2. मु0अ0सं0 219/25 धारा 103(1)/238/3(5)/61(2) बीएनएस थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

अभियुक्तगण प्रिन्स व हरविन्द्र का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 219/25 धारा 103(1)/238/3(5)/61(2) बीएनएस थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम –

1. प्रभारी निरीक्षक जयभगवान सिंह थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।
2. उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।
3. उ0नि0 श्री शिवा नैन थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।
4. का0 2558 अजय कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।
5. का0 180 अरविन्द कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।
6. का0 2215 जितेन्द्र कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना चांदपुर **दिनांक – 06.07.2025**

थाना चांदपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 370/2025 धारा 3(5)/109(1)/351(3) बीएनएस में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 24.06.2025 को वादी मितुल कुमार पुत्र जबर सिंह निवासी ग्राम रुकनपुर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर द्वारा थाना चांदपुर तहरीर दी गयी कि अभियुक्तगण 1.योगेन्द्र पुत्र छतर सिंह 2.अभय कुमार उर्फ वंश पुत्र योगेन्द्र 3.सुरभि पुत्री योगेन्द्र समस्त निवासीगण ग्राम रुकनपुर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर व एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी के भाई सरविन्द कुमार पुत्र जबर सिंह के ऊपर जान से मारने की नियत से धारदार हथियारों से वार किये गये,जिससें वह गम्भीर रुप से हो गया तथा वादी द्वारा अपने भाई का बचाव करने का प्रयास किया गया, तो अभियुक्त अभय कुमार उर्फ वंश द्वारा तमंचे से फायर कर जान से मारने की धमकी दी गयी।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 मु0अ0स0 370/2025 धारा 3(5)/109(1)/351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

आज दिनांक 06.07.2025 को थाना चांदपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त अभय कुमार उर्फ वंश पुत्र योगेन्द्र सिहं ग्राम निवासी रूकनपुर थाना चादंपुर बिजनौर को घटना में प्रयुक्त फावडें सहित गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अभय कुमार उर्फ वंश पुत्र योगेन्द्र सिहं निवासी ग्राम रूकनपुर थाना चांदपुर बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.व0उ0नि0 श्री प्रदीप कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

2.हे0का0 102 श्यामवीर सिंह थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

3.का0 754 मुकेश कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नगीना देहात **दिनांक – 06.07.2025**

थाना नगीना देहात पुलिस ने मु0अ0सं0 133/2025 धारा 69/70(1) बीएनएस में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 26.05.2025 को वादिया द्वारा थाना नगीना देहात पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्तगण अंकित पुत्र अजयपाल निवासी ग्राम सिकेरा थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर ने पहचान बदलकर तथा शादी का झांसा देकर उसके साथ गलत काम किया तथा दिनांक 16.04.2025 अभियुक्त अंकित ने वादिया को अपने घर ले जाकर अपने बहनौई सुमित पुत्र कर्ण सिंह निवासी ग्राम गनौरा थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर के साथ मिलकर भी उसके साथ गलत कर वीडियो बना ली तथा इसके बारे में किसी बताने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी गयी।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नगीना देहात पर मु0अ0सं0 133/2025 धारा 69/70(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान उपरोक्त अभियोग धारा 70(1) का लोप किया गया।

कार्यवाही –

आज दिनांक 06.07.2025 को थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त अंकित पुत्र अजयपाल निवासी ग्राम सिकेरा थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अंकित पुत्र अजयपाल निवासी ग्राम सिकेरा थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 विनोद कुमार थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।
2.है0का0 97 सलीम जावेद थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।
3.का0 20 आशीष धामा थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नगीना देहात **दिनांक – 06.07.2025**

थाना नगीना देहात पुलिस ने मु0अ0सं0 164/2025 धारा 109(1)/351(2) बीएनएस में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 05.07.2025 को वादिया सुनीता पत्नी सोनू निवासी ग्राम मौ0 असगारपुर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर द्वारा थाना नगीना देहात पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.रोकी 2.सचिन 3.डालर पुत्रगण श्याम सिंह निवासीगण ग्राम मौ0 असगारपुर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर द्वारा वादिया के पति सोनू पुत्र सुप्पे सिंह के सिर पर लाठी-डंडो से वार कर घायल कर दिया गया तथा जान से मारने की धमकी दी गयी।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नगीना देहात पर मु0अ0सं0 164/2025 धारा 109(1)/351(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

आज दिनांक 06.07.2025 को थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त रोकी पुत्र श्याम सिंह निवासी ग्राम मौ0 असगारपुर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

रोकी पुत्र श्याम सिंह निवासी ग्राम मौ0 असगारपुर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 राजीव कुमार थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।

2. है0 का0 537 सुनील मलिक थाना नगीना देहात बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना स्योहारा **दिनांक 06.07.2025**

थाना स्योहारा पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड में अभियुक्त को अवैध शस्त्र, नगदी, मोटरसाइकिल व मोबाइल फोन सहित गिरफ्तार कर 12 घण्टे में छिनैती की घटना का अनावरण कर शत प्रतिशत नगदी (50,000) बरामदगी की गयी।

कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण -

दिनांक 05.07.2025 को कस्बा स्योहारा स्थित एसबीआई बैक से ₹50,000 रुपये निकालकर थैले में रखकर ई-रिक्शा से घर जा महिला से छिनैती की घटना के अनावरण के क्रम में चेकिंग के दौरान मुखबिर से प्राप्त सूचना पर पुलिस टीम द्वारा साफियाबाद फाटक पर एक संदिग्ध मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति को रोकने का प्रयास किया गया तो व्यक्ति मोटरसाइकिल वापस मोडकर भागने लगा। पुलिस टीम द्वारा पीछा करने पर उक्त व्यक्ति की मोटरसाइकिल ग्राम बहादुरपुर बाग के पास फिसल कर गिर गयी। पुलिस टीम को आता देख युवक द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में अभियुक्त के पैर में गोली लगी, जिसको घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया।

घायल अभियुक्त ने अपना नाम शाकिब पुत्र शाहबुद्दीन निवासी मौ0 इस्लामनगर कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर बताया। अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा 315 बोर, 02 खोका कारतूस व 03 जिन्दा कारतूस, 01 हीरो डीलक्स मोटरसाइकिल व एक मोबाइल फोन बरामद किया गया तथा थाने पर पंजीकृत मु0अ0सं0 258/25 धारा 304(2) बीएनएस में छीने गये 50,000 रुपये की शत प्रतिशत बरामदगी की गयी। स्थानीय पुलिस द्वारा घायल अभियुक्त को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस संबंध में थाना स्योहारा पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण –

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि दिनांक 05.07.2025 को दोपहर के समय उसके द्वारा कस्बा स्योहारा में ई-रिक्शा में बैठी एक महिला से थैला छीनकर भाग गया था। थैले में उसको 50,000/- रुपये मिले थे।

नोटः- इस संबंध में थाना स्योहारा पर पूर्व से ही मु0अ0सं0 258/25 धारा 304(2) बीएनएस पंजीकृत है तथा अभियोग में बरामदगी के आधार पर धारा 317 (2) बीएनएस की वृद्धी की जा रही है। अभियुक्त के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

शाकिब पुत्र शाहबुद्दीन निवासी मौ0 इस्लामनगर कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

बरामदगी विवरण-

1- 50 हजार रूपये नकद।

2- 01 तमंचे 315 बोर व 03 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस 315 बोर।

3- एक मोटरसाइकिल।

4- एक मोबाइल फोन।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त उपरोक्त -

मु0अ0सं0 258/25 धारा 304(2) बीएनएस थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण –

1) प्रभारी निरीक्षक श्री अमित कुमार थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।
2) उ0नि0 हरिओम सिंह थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।
3) उ0नि0 अशकर खान थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।
4) उ0नि0 उमेश चंद्र थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।
5) मुख्य आरक्षी पुष्पेन्द्र सिंह थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।
6) आरक्षी विपिन कुमार थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।
7) आरक्षी प्रदीप कुमार थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।
8) आरक्षी पंकज थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।
9) आरक्षी 1849 मोनू थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।
10) मुख्य आरक्षी चालक सतेंद्र कुमार थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।